विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

क्रमांकः संयुक्त विज्ञापन सं.:– 06/परीक्षा/ए.सी.पी.–विधि रचनाकार/2014–15 **दिनांक : 01.12.2014**

आयोग द्वारा सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग हेतु एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) के पदों हेतु राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के अन्तर्गत एवं **विधि एवं विधिक कार्य विभाग के लिए विधि रचनाकार** के पदों हेतु राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के अन्तर्गत **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं (पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है) –

एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग)

पदों की संख्या	सामान्य पद (अनारक्षित)				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				SBC
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परि–त्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परि–त्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परि–त्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परि–त्यक्ता	
29	8	3	0	0	4	1	0	0	5	1	0	0	5	2	0	0	0

अनुसूचित जाति वर्ग में 4 पद एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में 5 पद बैकलॉग के सम्मिलित हैं (रिक्ति वर्ष 2011–12)

दण्डवत आरक्षण : विशेष योग्यजन – 3 पद (दृष्टिहीन–1, मूक बधिर –1 एवं अस्थि विकृत–1 पद)

1. <u>योग्यता</u> –
   1- M.C.A. or B.E./B.Tech. in Information Technology or Computer Science or Electronics and Communications from a recognised University established by law in India or a qualification recognised as equivalent thereto by the Government. **OR** M.Tech. degree in Information Technology or Computer Science or Electronics and Communications from a recognised University established by law in India or a qualification recognised as equivalent thereto by the Government. **OR** M.B.A. (IT) from a University established by law in India or a qualification recognised as eqivalent thereto by the Government. **AND**
   2-Three years' post qualification relevant work experience in legal entity such as Government Organisations/Government Undertakings/Public Limited/Private Limited Companies etc.
2. **<u>अनिवार्य योग्यताः</u>–** Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.
   आवश्यक नोटः– प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा अपात्र।
3. **आयु :–** दिनांक 01.01.2015 को न्यूनतम् 21 वर्ष एवं अधिकतम 37 वर्ष से कम।
4. **रनिंग पे–बैण्ड :–** रूपये 15600–39100 ग्रेड–पे रू.6600/–

विधि रचनाकार (विधि एवं विधिक कार्य विभाग)

पदों की संख्या	सामान्य पद (अनारक्षित)				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछड़ा वर्ग				SBC
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परि–त्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परि–त्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परि–त्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परि–त्यक्ता	
8	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0

दण्डवत आरक्षण :– विशेष योग्यजन 1 पद (B/LV)

1. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं**
   i. Bachelor of Law (2 years Course under the old Scheme and 3 years course under the new Scheme or a Bachelor of Law (Professional) of a University established by law in India
   ii Must have had English and Hindi as the subjects (at least one of them being optional) in the B.A. examination.
2. Working knowledge of Hindi written in Devnagri Script and knowledge of Rajasthani Culture.
3. **रनिंग पे–बैण्ड :–** रूपये 9300–34800 ग्रेड–पे रू.4200/–
4. **आयु :–** दिनांक 01.01.2015 को न्यूनतम् 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट

क.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा/विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट

1	**<u>दोनों पदों हेतु</u>** :– भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	**<u>दोनों पदों हेतु</u>** :–अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व अधिकायु नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3.	**<u>दोनों पदों हेतु</u>** :– एन.सी.सी के कैडिट प्रशिक्षकों के मामले में उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जायेगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा।
4.	**<u>दोनों पदों हेतु</u> :– राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेन्टिव)** रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी तथा **पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों** के कार्यकलापों के संबंध में **संस्थाई (सब्स्टेन्टिव)** रुप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5.	**<u>केवल एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर पद हेतु</u>** :– रिजर्विष्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा सेवा कार्मिकों और भूतपूर्व सेना कार्मिकों के लिए अधिकतम् आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
6.	**केवल विधि रचनाकार पद हेतु :–** इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।
7.	**केवल विधि रचनाकार पद हेतु :–** रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर/शॉर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।

<u>नोट</u> –

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise)के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक–23.09.2008 के कम में जारी अधिसूचना के अनुसार"जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नही हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नही दी जाएगी।"

एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर पद हेतु :– *इस पद को आयोग द्वारा **वर्ष 2011** में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2013 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2015 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **एक वर्ष की छूट** देय होगी।*

विधि रचनाकार पद हेतु :– *इस पद को आयोग द्वारा **वर्ष 2009** में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत आयु की गणना दिनांक 01.01.2010 को की गई थी। तत्पश्चात् इस पद का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2015 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **तीन वर्ष की छूट** देय होगी।*

अन्य विवरण

चयन प्रक्रिया	**एनालिस्ट –कम–प्रोग्रामर पद हेतु :–** Candidates who obtain a minimum of 40% marks in the aggregate for the written examination shall be considered to have obtained qualifying marks at the written examination, but the minimum qualifying marks in the written examination for the candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, shall be 36%. The Commission/Appointing Authority may in their/its discretion award grace marks upto three in the aggregate. **विधि रचनाकार पद हेतु :–** Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test which will carry 25 marks. The Commission may in its discretion award grace marks up to one in each paper and up to three in the aggregate. The Commission may fix minimum qualifying marks in the written examination for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates lower then what is prescribed for other candidates. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each candidate.
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	**एनालिस्ट –कम–प्रोग्रामर पद हेतु :–** प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा अपात्र। **विधि रचनाकार पद हेतु :–** पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी** आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरण** :– उक्त सुविधा को वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र की अंतिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	**एनालिस्ट –कम–प्रोग्रामर पद हेतु :–इन** पदों हेतु परीक्षा वस्तुनिष्ठ लिखित रूप में ली जायेगी। **सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबवाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। **विधि रचनाकार पद हेतु :–**इन पदों हेतु परीक्षा **वर्णनात्मक लिखित** रूप में ली जाएगी।
परीक्षा का स्थान एवं माह	इन पदों की परीक्षा अजमेर केन्द्र पर आयोजित किए जाने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। **परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है। यदि आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अजमेर जिले से बाहर अन्य जिलों में भी किया जा सकता है।**
आवेदन अवधि	**दिनांक 02–12–2014 से दिनांक 31–12–2014** रात्रि **12–00** बजे तक ।

SYLLABUS FOR COMPETITIVE EXAMINATION FOR DIRECT RECRUITMENT TO THE POST OF ANALYST-CUM-PROGRAMMER (DEPUTY DIRECTOR) :-

1. A candidate must appear in all the papers. The marks and time allowed for each Paper shall be as under:-

Name of Papers	**Marks**	**Time**
PAPER- I	100	2 Hours
PAPER- II	100	2 Hours

SCOPE OF PAPERS
Written Examination

Paper - I

Reasoning Test & Numerical Analysis & General Knowledge

Problem solving, Data Interpretation, Data Sufficiency, Logical Reasoning and Analytical Reasoning. General Knowledge and Current Affairs relating to India and Rajasthan.

Data Base Management Systems

ER Diagram, data models- Relational and Object Oriented databases.
Data Base Design: Conceptual data base design, Normalization Primitive and Composite data types, concept of physical and logical databases, data abstraction and data independence, data aggregation and Relational Algebra.
Application Development using SQL: Host Language interface, embedded SQL programming, Stored procedures and triggers and views, Constraints assertions.
Internal of RDBMS: Physical data organisation in sequential, indexed random and hashed files. Inverted and multilist structures, B trees, B+ trees, Query Optimisation, Join algorithm.
Transaction Processing, concurrency control and recovery management. Transaction model properties and state serialisability. Lock base protocols, two phase locking.
Different server multi user, multiprocess operating systems and requirement for client interfaces in distributed application environments.

Data Communication and Computer Networks

Computer Network Architecture, Circuit switching, Packet And Massage Switching, Network Structure. Physical Layer, Data Link Layer, Framing. Retransmission algorithms.
Multiple access and Aloha. CSMA/CD and Ethernet. High Speed LANs and topologies. Broadcast routing and spanning trees.
TCP/IP Stack. IP Networks and Internet. DNS and Firewalls. Intrusion Detection and Prevention.
Transport layer and TCP/IP. Network Management And Interoperability.

Paper - II

System Analysis and Design

System concept: Definition and characteristics, elements and boundaries, types of system development lifecycle, recognition of needs, feasibility study, prototyping, role of system analyst. System planning and tools like DFD, data dictionary, decision trees, structured analysis and decision tables.
IPO charts, structured walkthrough, input output form design, requirement and classification of forms, layout considerations form control, object oriented Design Concepts and methods.
Software Life Cycle, Software Engineering paradigms. System analysis: Feasibility study requirement analysis, Cost benefit analysis, Planning systems, Analysis tools and techniques.
System Design: design fundamentals, Modular Design, Data and procedural design, object oriented design.
System Development: Code documentation, Program design paradigms, Efficiency Consideration. Verification, Validation and Testing: testing methods, Formal Program Verification, Testing Strategies.
Software Maintenance: Maintenance Characteristics, Maintainability, Maintenance tasks and side effects.

Software Project Management

Software Project Management Concept: The Management Spectrum, People, Product, Process & Project.
Software Process & Project Matrix: Software Measurement Size Oriented Matrixes, Function Oriented Matrices.
Software Project Planning: Objectives, Decomposition Techniques, Empirical Estimation Model. Risk Analysis and Management: Risk Identification, Projection, Risk Refinement, Risk Monitoring And Management.
Project Scheduling & Tracking, Software Quality Assurance, Software Configuration Management.

Note for general guidance:

(i) The standard of the paper will be that of a degree examination of a University established by law in India. A brief outline of the scope of each paper is given in this Schedule for general guidance of candidates but is not intended to be exhaustive.
(ii) All papers unless specifically required, shall be answered either in English or in Hindi, but no candidate shall be permitted to answer any one paper partly in Hindi or partly in English unless specifically allowed to do so.
(iii) If a candidate's hand-writing is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

(iv) Questions of question paper of examination may be of multiple choice type or descriptive type or both types.
(v) Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all descriptive questions of the examination paper(s)."

Syllabus for Competitive Examination for the post of Vidhi Rachnakar :-

The Competitive Examination shall include the following subject :-

1.	Translation from English to Hindi or in any other language recognized by the Constitution. (Candidates shall be required to translate into Hindi or some other language passages from press communiques, press articles, Government Resolutions, Legislations, rules and instructions and to explain common expressions elitches etc. in use such compositions.)	100 Marks
2.	Translation from Hindi or other particular language into English. (Candidates shall be required to translate into English or some other language passage from press articles, speeches etc.)	100 Marks

Note : The time allowed for the two written papers shall be 3 hours each. Deduction will be made from marks assigned to candidates on account of bad handwriting.

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। इस प्रकार संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है, तो परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।)

विशेष सूचना :– ''यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब–साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के तहत् आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया'' एवं 'Guidelines for Edit Applicaiton' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रृटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 01.01.14** को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **http://rpsconline.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(नरेश कुमार ठकराल)
सचिव

क्रमांकः संयुक्त विज्ञापन सं.:– 06/परीक्षा/ए.सी.पी.–विधि रचनाकार/2014–15/922 **दिनांक : 01.12.2014**

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत संयुक्त विज्ञापन संख्या – **06/परीक्षा/ए.सी.पी.–विधि रचनाकार/2014–15** राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के **नवीनतम संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है।**

उप सचिव